[2017] 7 एससीआर 765

अशोक कुमार और अन्य।

बनाम

झारखंड राज्य और अन्य।

(2018 की सिविल अपील संख्या 877) 14 मई, 2018

[जे. चेलमेश्वर और संजय किशन कौल, जेजे.]

झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियम, 2004 – आरआर. 21, 22 और 27 - दिनांक 11.5.2018 के निर्णय अशोक कुमार व अन्य बनाम झारखंड राज्य जो [2017] 7 एससीआर 755 में रिपोर्ट किया गया है, के पैराग्राफ 25 और 26 को हटा दिया गया है - अग्रेत्तर पैराग्राफ 27 को इस रूप में पढ़ा जाएगा कि "प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि वेतन वृद्धि सहित अनिवार्य लाभों का अन्तर अपीलकर्ताओं को आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रेषित किए जाएं"।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 877।

2014 के डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 5186 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के दिनांक 03.03.2016 के निर्णय और आदेश से।

अमित गुप्ता, सुश्री मानसी कुकरेजा (मेसर्स मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए), अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

तपेश कुमार सिंह, मो. वक्वास, आदित्य प्रताप सिंह, चंद्र भूषण प्रसाद, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया था:

आदेश

मामले का उल्लेख किए जाने पर , पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि 11.5.2018 को इस न्यायालय द्वारा पारित फैसले के पैराग्राफ 25 और 26 में निहित निर्देश की आवश्यकता नहीं हो सकती है , जिसे तदनुसार हटा दिया जाता है।

वे आगे अनुरोध करते हैं कि उक्त निर्णय के पैराग्राफ 27 को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:

"प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि वेतन वृद्धि सहित अनिवार्य लाभों का अन्तर आदेश की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर अपीलकर्ताओं को प्रेषित किए जाएं। तदनुसार आदेशित।

देविका गुजराल पूर्व आदेश में संशोधन।

अनुवादकर्ताः- श्री निर्दोष कुमार, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बरेली।